निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 120/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

ग्यारसी लाल पुत्र सुखाराम मीणा जाति मीणा, निवासी ग्राम कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रियव्रत सिंह चारण आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर।
2. रामजीलाल पुत्र लक्ष्मण राम मीणा निवासी 20 मानव आश्रम कालोनी, टोंक रोड, तहसील व जिला जयपुर।

अप्रार्थी/वादी

3. लालाराम
4. रामजीलाल
5. सीताराम
6. बाबूलाल

पुत्रान स्व॰ श्री शंकर लाल जाति मीणा, निवासी ग्राम कूकस तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

7. चन्दालाल पुत्र श्री सुखाराम
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 27/2022 ब उनवानी रामजीलाल बनाम लालाराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने ।

उपस्थितः–

1. श्री दामोदर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 18.07.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 27/2022 ब उनवानी रामजीलाल बनाम लालाराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त पत्रावली में दिनांक 22.04.2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट नहीं आने एवं अप्रार्थी संख्या 1 के राजकार्य में व्यस्त होने की वजह से आगामी पेशी 19.05.2022 नियत की गई। दिनांक 19.05.2022 को कन्डोलेन्स होने एवं पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने की वजह से आगामी पेशी 09.06.2022 जिलाधीश परिसर स्थित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर पर नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त पत्रावली में दिनांक 19.05.2022 को नियत की गई आगामी पेशी दिनांक 09.06.2022 की आदेशिका में कांट छॉट कर प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण को सूचित किये बिना कतई अवैध रूप से आगामी पेशी दिनांक 06.06.2022 नियत कर दी, जिसकी सूचना हेतु दिनांक 03.06.2022 को नुमाईशी अदालती नोटिस जारी कर उपखण्ड अधिकारी आमेर तहसील आमेर में उपिस्थत होने हेतु नियत कर दी। उक्त नोटिस प्रार्थी को प्राप्त होने पर प्रार्थी दिनांक 06.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी आमेर के जिलाधीश परिसर न्यायालय में करने हेतु प्रस्तुत किया। क्यूं कि उक्त पत्रावली पूर्व से ही उपखण्ड अधिकारी आमेर के जिलाधीश परिसर न्यायालय में विचाराधीन थी। जिसमे पक्षकारान के सभी अधिवक्ता जिलाधीश परिसर स्थित न्यायालयों में पैरवी करते है जो आमेर नहीं जाते । दिनांक 06.06.2022 को जब प्रार्थी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर तहसील आमेर के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुआ तो अप्रार्थी संख्या 1 अपने चैम्बर में बैठे हुए थे जिनके साथ अप्रार्थी संख्या 2 एवं अन्य भू माफिया बैठ कर चाय पी रहे थे । प्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व में जारी पत्र का हवाला देते हुए निवेदन किया कि जिला कलक्टर महोदय ने यह निर्देश दिये है कि पूर्व से नियत पत्रावली जिस परिसर में विचाराधीन है बिना दोनों पक्षों के अधिवक्ता की सहमति के उसे तहसील आमेर स्थित न्यायालय में सुनवाई हेतु अन्तरित नहीं किया जावे। इसलिए उक्त पत्रावली को जिलाधीश परिसर जयपुर स्थित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष सुनवाई हेतु नियत किया जावे। जिस पर पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के अधिवक्ता पर नाराज होते कहा कि "मै तो उक्त पत्रावली को तहंसील आमेर स्थित न्यायालय के समक्ष ही अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत रखूंगा। तुम्हें पैरवी करनी हो तो करो नहीं तो मत करो, मै तो आगामी पेशी 14.06.2022 को उक्त वाद का निस्तारण वादी के पक्ष में कर अन्तिम डिक्री जारी करूंगा । " पीठासीन अधिकारी से हुई वार्ता व व्यवहार से प्रार्थी को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी अपने निजी स्वार्थो के वशीभूत हो कर उक्त समस्त अवैध कार्यवाही करने पर आमादा है।

जिला कलक्टर
जयपुर

जिससे प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 4 के सुयोग्य अधिवक्ता भी इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी के अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 27/2022 ब उनवानी रामजीलाल बनाम लालाराम व अन्य को उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 08.08.2022 को उपस्थित हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुनकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा उपखण्ड अधिकारी आमेर व उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर दक्षिण को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

11. निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर